

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं०सं०-04/निदे०छात्रावास(किराया निर्धारण)-103-09/2025 13

प्रेषक,
सरकार के सचिव
सेवा में,
महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-०८/०५/२०२६

विषय-वित्तीय वर्ष 2026-27 से स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के अन्तर्गत डॉ० अम्बेडकर कल्याण छात्रावास, औरंगाबाद के छात्रों को पठन-पाठन के लिए चिन्हित निजी भवन का G.S.T. की देयता 18% सहित प्रति माह की दर से मकान किराया ₹73,180/- (तिहत्तर हजार एक सौ अरसी रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेश-स्वीकृत।

2- प्रस्तावित स्वीकृत राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 से स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में आथ-व्यय मुख्य शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण और अल्पसंख्यकों का कल्याण-उप मुख्यशीर्ष-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण लघु शीर्ष-277-राक्षा-उपशीर्ष-0002-छात्रावासों का संधारण विषय शीर्ष-0002.14.01-किराया महसूल एवं कर मांग सं०-44-विपत्र कोड संख्या-44-2225012770002 के अन्तर्गत विकलनीय है। व्यय बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।

3-राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक-2561 दिनांक 17-4-1998 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों में निहित निर्देशों के आलोक में राशि की निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

4-मकान किराये की स्वीकृति के आधार पर उपलब्ध आवंटन के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला कल्याण पदाधिकारी, औरंगाबाद होंगे तथा इसके नियंत्री उप विकास आयुक्त, औरंगाबाद होंगे। स्वीकृत राशि का भुगतान मकान मालिक के आधार सम्बद्ध बैंक खाता में RTGS/NEFT के माध्यम से किया जाएगा।

5-इस प्रस्ताव की स्वीकृति जिला कल्याण पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक-336/जि०क० दिनांक-16.03.2026 के आलोक में दी जाती है। यह स्वीकृत्यादेश मकान किराये में वृद्धि या कमी होने, छात्रावास के अन्य भवन में स्थानांतरित होने, सरकारी भवन की उपलब्धता की तिथि तक लागू होगा।

6-मकान किराया भुगतान के संबंध में वांछित प्रमाण पत्र प्राप्त है। साथ ही प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में सरकारी भवन अनुपलब्धता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेना आवश्यक होगा।

7-इस प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका के पृ० सं०-०९/टि० पर प्राप्त है।

8-इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार को दी जा रही है।

9-कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

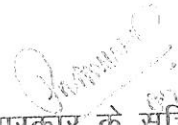

सरकार के सचिव

झापांक-04/निदे०छात्रावास(किराया निर्धारण)-103-09/2025- 13 पटना दिनांक-08/05/2025

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग/अपर मुख्य सचिव, निगरानी विभाग/सचिव, भवन निर्माण विभाग/विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(2) जिला कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(3) प्रमंडलीय आयुक्त, औरंगाबाद/निदेशक, अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग/जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद/उप विकास आयुक्त, औरंगाबाद/उप निदेशक कल्याण, मगध प्रमंडल, गया/जिला कल्याण पदाधिकारी, औरंगाबाद/अनुमंडल पदाधिकारी, सदर औरंगाबाद/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, दरभंगा/प्रभारी पदाधिकारी, बजट प्रशाखा, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।


सरकार के सचिव